भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं0-1139
उत्तर देने की तारीख 16 अगस्त, 2013

भारतीय नागरिकों/संगठनों की गोपनीयता का उल्लंघन

1139. श्री राजीव चन्द्रशेखर :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने प्रिज्म परियोजना की दी गई सूचना के परिणामस्वरूप गैर कानूनी तरीकों से भारतीय नागरिकों/संगठनों की गोपनीयता का कथित उल्लंघन करने के बारे में अमरीकी सरकार के साथ सत्यापन अथवा पुष्टि करने के लिए कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने ऐसी गैर-कानूनी निगरानी को रोकने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार रखती है; और

(ग) भारत और अमरीका के बीच इस तरह की गोपनीयता के उल्लंघन के मुद्दों पर सहमति का स्वरूप क्या है?

उत्तर
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा)

(क) से (ग): जून,2013 में मीडिया रिपार्टों में यह खुलासा हुआ है कि अमरीकी एजेंसियों ने इंटरनेट और दूरसंचार संबंधी डाटा एकत्र करने के लिए गहन इलैक्ट्रॉनिक निगरानी कार्यक्रम चलाया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अमरीकी एजेंसियों ने फाइबर केबल और अवसंरचना पर संचार के अवरोधन, वैश्विक इंटरनेट तथा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के सर्वरों से सूचना एकत्र करने के साथ-साथ आसूचना इकठ्ठा करने के लिए अनेक तरीके अपनाए हैं। ऐसी कम्पनियों में गूगल, फेस बुक, माइक्रोसॉफ्ट,एप्पल,याहू, एओएल,यूट्यूब, पलटॉक तथा स्काईप शामिल हैं।

सरकार ने अमरीका द्वारा भारत से होने वाले इंटरनेट परियात पर निगरानी रखे जाने पर चिंता व्यक्त की है। अमरीका को साधारण भारतीय नागरिक की सूचना की गोपनीयता से संबधित किसी भी भारतीय कानून का उल्लंघन करने और साथ ही साथ भारतीय नागरिकों अथवा सरकारी अवसंरचना पर लगाए गए अनुचित डाटा अभिग्रहण के संबंध में भारत की चिंता जाहिर कर दी गई है। अमरीकी साइबर निगरानी गतिविधियों के मुद्दे पर नई दिल्ली में दिनांक 24.06.2013 को आयोजित "इंडो-यूएस स्ट्रेटिजिक डायलॉग" बैठक के दौरान चर्चा की गई थी।

अमरीकी अधिकारियों ने यह प्रत्युत्तर दिया है कि प्रिज्म(पीआरआईएसएम) केवल मेटा डाटा पर (ट्रैफिक की दिशा तथा प्रवाह के संबंध में) कार्य करता है और केवल टेलीफोनी और इंटरनेट ट्रैफिक के मुख्य तौर-तरीकों की निगरानी करता है। अमरीकी अधिकारी अपनी इस बात पर कायम रहे कि इन निगरानी कार्यक्रमों के तहत डाटा कन्टेंट/ ई-मेल के कन्टेंट को अभिगम्य नहीं किया जाता अथवा उनकी निगरानी नहीं की जाती; इसलिए यह गोपनीयता का उल्लंघन करना नहीं है। अमरीका ने यह बताया था कि यदि उनकी ऐजेंसियों को इन निगरानी कार्यक्रमों द्वारा अवरोधित किसी भी डाटा के कन्टेट तक पहुंचने की आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें इस संबंध में विदेशी आसूचना निगरानी अधिनियम (एफआईएसए) न्यायालय से पृथक रूप से प्राधिकार प्राप्त करना आवश्यक होता है।

******